झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–52/2020

मो0 इमरान उर्फ राजू मुथि उर्फ मो0 इमरान राजू मुथि
उर्फ मो0 इमरान राजू मुथ्थी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री आर0सी0पी0 साह, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्री राजेश कुमार महथा, ए0पी0पी0।

4/24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, चांदिल (कपाली) थाना काण्ड संख्या 69 वर्ष 2018 तद्नुसार, जी0आर0 संख्या 416 वर्ष 2018 के संबंध में आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक को बदमाशों द्वारा रास्ते में रोका गया, बैग के साथ 2,40,452/– रू0, सैमसंग टैब, दो वायोमेट्रिक मशीन आदि छीन लिये। याचिकाकर्त्ता को सह–अभियुक्त सद्दाब हुसैन उर्फ सद्दाब बच्चा के इकबालिया बयान पर फंसाया गया लगता है। याचिकाकर्त्ता 04.02.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान

एस0डी0जे0एम0, सरायकेला की संतुष्टि पर चांदिल (कपाली) थाना काण्ड संख्या 69 वर्ष 2018 तद्नुसार, जी0आर0 संख्या 416 वर्ष 2018 में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)